FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Ambala **Year (वर्ष):** 2024

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0001 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 08/01/2024 19:16 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	384
3	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 08/01/2024 **Time (समय):** 19:16 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 013 **Date and Time (दिनांक और समय):** 08/01/2024 19:16 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** EAST, 00 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला,अम्बाला

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** संजय गोयल

(b) **Father's Name (पिताका नाम):** श्री औम प्रकाश गोयल

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1969 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**50-सी, राजा पार्क, अम्बाला कैन्ट, SECTOR-9, AMBALA CITY, AMBALA, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**50-सी, राजा पार्क, अम्बाला कैन्ट, SECTOR-9, AMBALA CITY, AMBALA, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	महावीर सिंह डी.एस.पी.			1. ---,ACB,Ambala,Anti Corruption Bureau,Haryana,HARYANA,INDIA
2	सोमेश कुमार न0 101A निरीक्षक			1. भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला,ACB,Ambala,Anti Corruption Bureau,Haryana,HARYANA,INDIA
3	EHC अशोक कुमार न0 645 अम्बाला			1. भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला,ACB,Ambala,Anti Corruption Bureau,Haryana,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

श्री मानजी, नकल लेख इस प्रकार से है-

Date:-08.01.2024

सेवा में,
उप पुलिस अधीक्षक
एंटी करप्शन ब्यूरो
पंचकूला
श्रीमान जी,

निवेदन है कि मैने वर्ष 2022 में संजय सैनी कलर्क अयुक्त कार्यालय अम्बाला व तत्कालीन रिजस्ट्री कलर्क तहसील अम्बाला शहर के खिलाफ एक शिकायत उपायुक्त अम्बाला को दी थी जिसकी जाँच ACB अम्बाला में श्री महावीर DSP ने की थी तथा इन्होने और इनके रिडर अशोक राना ने सही जाँच न करके इस मामले को रफा-दफा कर दिया था। बाद में इन्होने ही संजय सैनी के किसी आदमी से मेरे खिलाफ षडयंत्र के तहत एक शिकायत ले ली जोकि मेरे द्वारा खरीदी गई जमीन रिजिस्ट्री सख्या 3070 दिनांक 18-09-2017 जिसके की विक्रेता संजय सैनी के पिता ही हैं, के बारे में है इसकी जाँच महावीर सिंह DSP अपने नाम ही कर ली थी । संजय सैनी और उसके तथाकथित आदमी ने मेरे साथ स्वंय जाकर अपनी उस शिकायत को वापस भी ले लिया था लेकिन इन्होने और इनके रिडर ने वहीं कार्यरथ इस्पेक्टर सोमेश के माध्यम से बार-बार रिश्वत मांगी अन्यथा मेरे को शिकायत में पुलिस का भय दिखाकर 50 हजार रिश्वत भी ले ली। उसके बाद भी शिकायत को बंद नही किया अब अशोक राना और इस्पेक्टर सोमेश मेरे से एक लाख रुपया और रिश्वत मांग रहे हैं । मेरे पास इसकी रिकाडिंग भी है जो मै आपको दे दूँगा ।

मै इनको रिश्वत देना नही चाहता । अभी थोडी देर पहले इस्पेक्टर सोमेश ने मुझे Whatsapp काल करके रिश्वत की रकम उनके आफिस देने कि लिए बुलाया है, मै इन्हे रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ । निवेदन है कि इनके खिलाफ कार्यवाही की जाए ।

हस्ताक्षर अंग्रेजी
sd. Sanjay Goyal.
निवेदन
संजय गोयल
S/o श्री ओम प्रकाश गोयल
R/o 50-C, Raja Park
Ambala Cantt.

कार्यवाही पुलिस :- दिनांक 05.01.2024 को मै डी.एस.पी. पंचकूला अपने कार्यालय मे हाजिर था कि श्री संजय गोयल व श्री रोहित वर्मा कार्यालय में आए व बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला में डी.एस.पी. का रीडर अशोक राणा व नि. सोमेश उससे उसके खिलाफ दर्ज एक शिकायत बारे डराकर पैसे ऐठनें की कोशिश मे उसे परेशान करते है व एक लाख रुपये शिकायत बंद करने के नाम पर मांग रहे है। जो उनको देना नही चाहता व रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ जो आज शुक्रवार है कल शनिवार परसों रविवार को कार्यालय बंद बंद रहेगा इसलिए सोमवार को निरीक्षक सोमेश ने एक लाख रुपए रिश्वत लेकर बुलाया है मै सोमवार को शिकायत देकर उसे रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ जो आज संजय गोयल ने मुझे फोन पर बताया कि उसे सोमेश ने आज बुलाया है जिस बारे उच्च अधिकारियों से विचार करके राजपत्रितत गवाह नियुक्त करवाया गया । रेडिग पार्टी तैयार की गई जिसमें निरीक्षक दलबीर सिंह, सहायक उप निरीक्षक जसबीर सिंह 1868/फरीदाबाद, सहायक उप निरीक्षक नरेन्द्र कुमार 11/पंचकूला, मुख्य सिपाही दिलबाग सिंह 12/पंचकूला व चालक इ.ए.एस.आई. परमीत कुमार 383/अम्बाला व राजपत्रित गवाह श्री ललित कार्यकारी अभियन्ता हाऊसिंग बोर्ड पंचकूला आए है व अपने ड्राईवर राजेन्द्र कुमार को छाया गवाह नियुक्त किया जो रेडिग पार्टी, राजपत्रित अधिकारी/स्वतंत्र गवाह व छाया गवाह सहित बा सवाही गाडी सरकारी नम्बर HR03GV 1835 व प्राईवेट गाडी के रेडिंग किट, तफ्तीश बैग, लैपटॉप व प्रिंटर सहित अम्बाला पहुँचा जहाँ शिकायतकर्ता ने अपनी हस्तलिखित शिकायत दी है व साथ ही एक लाख रुपए रिश्वत के लिए पेश किए। जिनकी सूचि नोट व इन्वेटरी अलग से तैयार करके, सूचि नोट पर गवाहान ने अपने-2 हस्ताक्षर किए। मैने, राजपत्रित अधिकारी/संयुक्त गवाह, मुदई व छाया गवाह के सामने अपनी जामा तलाशी विधी अनुसार लेने उपरान्त मुदई द्वारा पेश किये गए करन्सी नोटो पर ब्रुश द्वारा फिनोल पैथालिन पाउडर लगा कर मुदई उपरोक्त की जामा तलाशी विधि अनुसार लेकर सभी करन्सी नोट हवाले

मुदई करके हिदायत की कि वह निरीक्षक सोमेश कुमार या इ.एच.सी. अशोक कुमार के बतौर रिश्वत मांगने पर उसे दे देगा तथा श्री राजेन्द्र कुमार ड्राईवर कार्यालय हाऊसिंग बोर्ड को बतौर छाया गवाह नियुक्त करके हिदायत की कि वह मुदई उपरोक्त व आरोपी निरीक्षक सोमेश कुमार तथा इ.एच.सी. अशोक कुमार के आस-पास रह कर उनकी बातचीत को सुने तथा जब निरीक्षक सोमेश कुमार या इ.एच.सी. अशोक कुमार के बतौर रिश्वत राशि मांगने पर मुदई उपरोक्त पाउडर लगे करन्सी नोट दे दे तो वह कार्यालय से बाहर आने उपरान्त मुझे फोन करके बतलाए फर्द मकबूजगी जामा तलाशी खुद व मुदई, हवालगी करन्सी नोट मुदई व नियुक्ति छाया गवाह तैयार करके सारी रेडिंग पार्टी के हाथ साबुन से धुलवाये गए। फर्द पर गवाहन ने अपने-अपने हस्ताक्षर किए । मै रेडिग पार्टी के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला के सामने वाले सेक्टर की स्लिप रोड पर छाया गवाह के फोन के इन्तजार में खडे रहे । जो थोडी देर बाद श्री राजेन्द्र कुमार छाया गवाह ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला की बिल्डिग से बाहर आकर मुझे अपने फोन नम्बर 9815411212 से मेरे फोन नम्बर 8727870031 पर कॉल करके बतलाया कि आरोपी द्वारा रिश्वत की राशि प्राप्त की गई है । मै उप पुलिस अधीक्षक मय रेडिग पार्टी के साथ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला की बिल्डिग में प्रथम तल पर पहुँचा जो शिकायतकर्ता ने बतलाया कि मैने यह राशि निरीक्षक सोमेश कुमार को दी है जिन्होने यह राशि अशोक राणा को दी है । निरीक्षक सोमेश कुमार मुझे बिल्डिग की गैलरी में व अशोक राणा डी.एस.पी. कार्यालय के अन्दर मिले है । जब मैने व राजपत्रित अधिकारी/स्वतंत्र गवाह ने उनको शिकायतकर्ता संजय गोयल से प्राप्त की गई रिश्वत की राशि निकालने को कहा तो उन्होने राशि देने में आनाकानी की जो डी.एस.पी. कार्यालय की तलाशी ली गई डी.एस.पी. कार्यालय में बनी अलमारी से फाईलों के पिछे से शिकायतकर्ता द्वारा प्राप्त किए गए एक लाख रुपए रिश्वत राशि बरामद हुए । शिकायतकर्ता द्वारा निरीक्षक सोमेश व अशोक राणा को दी गई रिश्वत राशि 100000/- रुपये के 500/500 के कुल 200 नम्बरी करंसी नोटों को राजपत्रित अधिकारी/स्वतंत्र गवाह को पेश किए । जिस पर राजपत्रित अधिकारी/स्वतंत्र गवाह ने उन नोटों के नम्बरों का मिलान पहले से बनी सुची नोट से किया तो नोटो के नम्बर मुताबिक सुची पाए गए। दोनो आरोपियान से उनका नाम व रैंक पूछने पर उन्होने अपना नाम व रैंक निरीक्षक सोमेश कुमार नम्बर 101/A व इ.एच.सी. अशोक कुमार नम्बर 645/अम्बाला बतलाया । फिर मेरी हिदायत पर सहायक उप निरीक्षक नरेन्द्र कुमार 11/पंचकूला ने रेडिग टीम की सहायता से एक साफ जग में साफ पानी व सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करके घोल में आरोपी निरीक्षक सोमेश कुमार उपरोक्त के दोनो हाथो को धुलवाया तो घोल का रगं हल्का गुलाबी हो गया, जिसको खाली कांच के साफ पव्वा में डालकर पुलन्दा तैयार किया। उसके बाद जग को साफ करके उसमे साफ पानी व सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करके घोल में दूसरे आरोपी इ.एच.सी. अशोक कुमार नम्बर 645/अम्बाला के हाथों को छुलवाया तो घोल का रंग धुंधला हो गया । जिसको खाली कांच के साफ पव्वा में डालकर पुलन्दा तैयार किया। मुदई श्री संजय गोयल के दोनों हाथो को धुलवाया तो घोल का रगं हल्का गुलाबी हो गया, जिसको खाली कांच के साफ पव्वा में डालकर पुलन्दा तैयार किया व बरामद नोटो को अलग से पीले रंग के कागज के लिफाफे मे डालकर अलग-अलग पुलन्दे तैयार करके सभी पुलन्दाजात को मोहर ACB (H) से सर्व मोहर करके, नमूना मोहर कपडे के टुकडा पर अलग से रखकर मोहर बाद प्रयोग मैनें राजपत्रित अधिकारी/स्वतंत्र गवाह के हवाले की व सभी पुलन्दा जात को व नमूना मोहर को मैनें बजरिया फर्द कब्जा मे लेकर फर्द पर मैनें व राजपत्रित अधिकारी श्री ललित कुमार कार्यकारी अभियन्ता, हाऊसिंग बोर्ड पंचकूला, श्री राजेन्द्र सिंह छाया गवाह, मुदई व आरोपियान निरीक्षक सोमेश कुमार, इ.एच.सी. अशोक कुमार ने अपने-अपने हस्ताक्षर किए। मेरी हिदायत पर रेड कार्यवाही की विडियोग्राफी सहायक उप निरीक्षक जसबीर सिंह द्वारा अपने मोबाईल फोन में भी की गई है । जो शिकायत व रेड कार्यवाही से DSP महावीर सिंह, निरीक्षक सुमेश कुमार, EHC अशोक कुमार थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला के विरुद्ध अपराध धाराधीन 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, वधाराधीन 384,120-B भारतीय दण्ड संहिता का होना पाया जाता है । जिस पर लेख लिखकर अभियोग अंकित करने हेतु तहरीर हवाले लिपिक थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला के की गई व हिदायत की गई कि अभियोग अंकित करके अभियोग संख्या से सूचित किया जाए तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां बतौर स्पैशल रिपोर्ट स्पैशल जज अम्बाला की सेवा में व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जाए । मै उप पुलिस अधीक्षक अन्य अनुसंधान में व्यस्त होता हूँ ।
अजः- थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मण्डल अम्बाला ।

हस्ताक्षर अंग्रेजी
Sd. Vijay Kumar
(विजय कुमार) ह.पु.से.

उप पुलिस अधीक्षक,
थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
पंचकूला ।
दिनांक 08.01.2024
at 06.25 PM.

अज थाना – इस समय एक टाईप शुदा लेख श्री विजय कुमार ह.पु.से. उप पुलिस अधीक्षक,थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला बर दरखास्त संजय गोयल S/o श्री ओम प्रकाश गोयल R/o 50-C, Raja ParkAmbala Cantt बर खिलाफ निरीक्षक सोमेश कुमार न. ए/101 व ई.एच.सी. अशोक कुमार न. 645/अम्बाला कार्यालय भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला व डी.एस.पी. महावीर सिंह बाजूर्म 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व 384,120-B भा.द.स. का होना पाया जाने पर थाना मे प्राप्त होने पर मुकदमा न. 01 दिनांक 08/01/2024 धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व 384,120-B भा.द.स. दर्ज रजिस्टर करके मुकदमा की स्पेशल रिपोर्ट बादस्त सिपाही सुरेश कुमार न. 517/अम्बाला की सेवा मे स्पैशल जज अम्बाला भेजा जा रहा है। नकल मिसल पुलिस मय असल लेख हवाले अनुसंधानकर्ता किये गये। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया । सी.सी.टी.एन.एस.साफ्टवेयर मे इस अभियोग के अनुसंधानकर्ता श्री विजय कुमार, ह.पु.से., उप पुलिस अधीक्षक, थाना भ्र0नि0ब्यूरो, पंचकुला की आई.डी. न होने के कारण अनुसंधानकर्ता महिला निरीक्षक बिमला देवी को दर्शाया गया है। यह अभियोग निरीक्षक वरिन्द्र कुमार सी.पी./15 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला की हाजिरी मे दर्ज किया गया है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** BIMLA DEVI **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 1127AMB **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): PAWAN KUMAR

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): DSP

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद *7* संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	**Sex (लिंग)**	**Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)**	**Build (बनावट)**	**Height (cms) (कद (से.मी.))**	**Complexion (रंग)**	**Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Male					**Is pox pitted:** Yes
2	Male					**Is pox pitted:** Yes
3	Male					**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	**Teeth (दाँत)**	**Hair (बाल)**	**Eye (आँखें)**	**Habit(s) (आदतें)**	**Dress Habit (s) (पहनावा)**
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Language/Dialect (भाषा/बोली)	**Place of (का स्थान)**					**Others (अन्य)**
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	**Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))**	**Mole (मस्सा)**	**Scar (घाव)**	**Tattoo (गूदे हुए का)**	
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)